


उद्यान विभाग से पर ड्राप मोर क्राप-सूक्ष्म सचिाई योजना 2022-23 के तहत  
कृषक परिवार के मुखिया द्वारा अनुदान हेतु

## आवेदन पत्र



1. लाभार्थी का नाम :-	2. पिता या पति का नाम :-
3. जाति :-	4. कृषक श्रेणी (लघु/सीमान्त/अन्य) :-
5. गांव :-	6. ब्लाक/कस्बा :-
7. जिला	8. आवेदक के नाम भूमि ( हैक.)
9. खसरा/मुरब्बा नम्बर जिसमें संयंत्र स्थापित किया जाना है ( भू-राजस्व की प्रति संलग्न करें )	
10. पिछले निकटतम समय में कृषक ने या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा माईक्रो इरीगेशन के तहत भारत सरकार की किसी भी योजना से अनुदान प्राप्त किया गया है अथवा नहीं	
11. अगर हां तो विवरण दीजिये -सिंचाई के लिये प्रयुक्त प्रणाली	
अ. क्षेत्र हैक्टेयर में :-	ब. फसलान्तर्गत क्षेत्र ( हैटअयर में ):-
स्थापना वर्ष :-	
12. फसल जो लगानी है :-	13. संयंत्र का प्रकार जिसकी आवश्यकता है :-
14. फसल जिसके लिए संयंत्र की आवश्यकता है :-	15. क्या संयंत्र प्लांटेशन फसल के लिये मांगा गया है या अन्तराशस्य के लिये
16. अन्तराशस्य फसल का नाम :-	17. माईक्रो इरीगेशन के तहत कुल क्षेत्र
18. पानी का स्रोत :-	19. कुए का प्रकार खुला अथवा नलकूप :-
20. जल का स्तर ( माप मीटर में )	21. सिंचाई जल की गुणवता की रिपोर्ट संलग्न करें
22. कुए में प्रति दिन उपयोग समय	
23. यदि सिंचाई नहर द्वारा की जा रही है तो क्या पानी संग्रहण हेतु व्यवस्था उपलब्ध है ? यदि हां ता पोण्ड का आकार - (लम्बाई X चौड़ाई X ऊंचाई)	
24. अन्य कोई फार्म पोण्ड यदि हां तो आकार	
25. यदि पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?	
26. विद्युत की उपलब्धता ( घंटों में )	
27. विद्युत की उपलब्धता नहीं है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई ?	
28. पम्प की क्षमता ( होर्स पॉवर में )	
29. डीजल इंजन का होर्स पॉवर में यदि उपलब्ध है तो	
30. भूमि का आकार	31. भूमि की विश्लेषण रिपोर्ट (संलग्न करें)
32. भूमि की गहराई	33. भूमि में जल स्तर की गहराई
34. कृषक बीमा कराने का इच्छुक है या नहीं	
<b>35 लाभार्थी /आपूर्तिकर्ता के बैंक अकाउन्ट विवरण</b>	
खाताधारी का नाम :-	खाता नं.:-
बैंक का नाम :-	आरटीजीएस-इसीएस कोड :-
बैंक दूरभाष नं. :-	आई.एफ.एस.सी. कोड :-

आवेदक का नाम मय दूरभाष

.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

# ड्रिप / मिनि / माईको फव्वारा संयंत्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 में कृषक श्री/श्रीमती.....पुत्र/ पुत्री/  
पत्नी.....ग्राम.....पं. सं. ....  
तहसील .....जिला ..... के खेत पर मेरे द्वारा ड्रिप संयंत्र का भौतिक सत्यापन  
किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम :- .....
2. पदनाम :- .....
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक :- .....
4. कम्पनी का ब्राण्ड व मैक :- .....
5. मौके पर मेरे द्वारा संयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात निम्न विवरण पाया गया :-

क्र. सं.	अवयव का नाम	मौके पर मौजूद अवयवों की मात्रा/ संख्या	आई. एस. मार्क सी. एम. एल. नम्बर व बैच नम्बर
1	Screen Filtre		
2	Ventury & manifold		
3	PVC pipe 90mm,class II;4kg/cm <sup>2</sup>		
4	PVC pipe 75mm,class II;4kg/cm <sup>2</sup>		
5	PVC pipe 63mm,class II;4kg/cm <sup>2</sup>		
6	Plain lateral		
7	Emmitting pipe/Lateral 32mm/16mm/12mm		
8	Nozzle		
9	Micro tube		
10			
11			

1. ड्रिप संयंत्र स्थापना का क्षेत्र जिसमें अनुदान दिया जाना है :- .....
2. कृषक द्वारा ड्रिप संयंत्र स्थापित करने का वर्ष ..... माह .....( कृषक से पूछताछ कर भरा जावे )
3. अवयवों की मात्रा एवं ड्रिप संयंत्र स्थापित क्षेत्र के अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है :- .....
4. क्या कृषक द्वारा पूर्व में ड्रिप/ फव्वारा संयंत्र पर अनुदान लिया गया है? हां ..... नहीं:- .....
5. मौके पर बोयी गई फसलों का विवरण :- .....
6. संयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया व संतोषजनक पाया गया।
7. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है :- .....

कृषक के हस्ताक्षर/ अंगूठा निशानी

भौतिक सत्यापन करने वाले  
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर  
मय नाम पदनाम व दिनांक

पर ड्रॉप मोर क्राप-सूक्ष्म सिंचाई योजना देय अनुदान पर ड्रॉप स्थापना हेतु अनुबंध  
( किसान द्वारा वहन किया जावे )  
( ऋणी/अऋणी कृषक )

अनुबंध डीड का क्रियान्वयन आज दिनांक....., स्थान.....  
जिला.....को एच.डी.एस.....( प्रतिनिधि श्री.....)  
कृषक श्री/श्रीमति.....गांव.....तहसील.....  
जिला.....राजस्थान एवं ड्रॉप/मिनि फव्वारा निर्माता/अधिकृत विक्रेता मैसर्स.....  
.....( प्रतिनिधि श्री.....) के बीच समपन्न किया गया  
जिसमें निम्न शर्तें संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती है ।

1. कृषक अनुदान पर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाये गये हैं । केवल कृषक हिस्सा राशि पर स्थापित होने वाले प्रकरणों में अनुदान राशि का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता कम्पनी/डीलर को करने के लिये कृषक सहमत है ।
2. कृषक संयंत्र स्थापना हेतु आवश्यक खुदाई व सिविल निर्माण कार्य स्वयं के व्यय पर निश्चित समयावधि में पूर्ण करने हेतु सहमत है ।
3. कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माता कम्पनी/डीलर के सामान रखने के लिये यथोचित स्थान उपलब्ध करवायेगा ।
4. कृषक अपने स्वयं के खर्चे पर पम्पिंग शेट, संयंत्र के चलाने हेतु प्रोपर वोल्टेज का कनेक्शन अपने खर्चे पर उपलब्ध करायेगा ।
5. संयंत्र निर्माता द्वारा प्रफोर्मा इनवाइस प्रस्तुत करने व प्रशासनिक स्वीकृति/त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने के पश्चात कृषक/ एच.डी.एस. द्वारा कृषक हिस्सा राशि का अग्रिम भुगतान किया जावेगा ।
6. कृषक द्वारा ऐसी फिटिंग सामग्री, पार्ट, जो कि गॉरन्टी के अधीन नहीं आते एचडीएस की अनुमोदित दर/वास्तविक दर के अनुसार ऐसे अवयवों का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता को जल्द से जल्द जैसे ही रख रखाव कार्य समाप्त हो बिल का भुगतान किया जावेगा ।

7. एचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टि के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
8. संयंत्र स्थापना के बाद कृषक द्वारा बकाया/देय राशि संयंत्र आपूर्तिकर्ता को चुकाई जावेगी।
9. सुक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगने के 5 वर्ष की अवधि तक कृषक द्वारा स्थल/डिजाईन में बदलाव ( विभागीय अनुमति के बिना ) संयंत्र हटाना या किसी को बेचना व खुर्द-बुर्द नहीं करेगा। ऐसा करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित कृषक से अनुदान राशि वसूल योग्य होगी।
10. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा कृषक की माँग पर खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र की रूप रेखा ( डिजाईन ) तैयार किया गया है। कृषक की आवश्यकता तथा रूप रेखा ( डिजाईन ) के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये है। इसके पश्चात तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जाकर पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की गई है। डिजाईन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under Desing) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
11. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के 30 दिन की समयावधि में ड्रिप संयंत्र आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा।
12. संयंत्र निर्माता कम्पनी एचडीएस को लिखित रूप में या पोर्टल के माध्यम से ड्रिप सथापना की सूचना देगी जिससे कि एचडीएस/अधिकृत संस्था 15 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
13. संयंत्र निर्माता कम्पनी सुनिश्चित करेगी कि यथोचित दूरी पर नाली खुली रखी जावे ताकि भौतिक सत्यापन और प्रयोगिक परिक्षण एचडीएस/अधिकृत संस्था द्वारा की जा सके।
14. भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के उपरान्त संयंत्र निर्माता कम्पनी संयंत्र को कृषक के सुपुर्द कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद देनी होगी।
15. एचडीएस द्वारा अनुमोदित संयंत्र आपूर्तिकर्ता एक माह के भीतर संयंत्र नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक के अन्य सप्लायर को चुनने की स्वतंत्रता होगी, विलम्ब की तिथि प्रशासनिक स्वीकृति अनुबंध की तिथि से गिना जावेगा।
16. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक द्वारा कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, अनुदान दावा ( क्लेम ) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा या ऑनलाईन प्रक्रिया में यह कार्यवाही पोर्टल के माध्यम से सम्पादित की जायेगी।
17. एचडीएस या संयंत्र निर्माता कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिये जिम्मेदार नहीं होगी
18. संयंत्र निर्माता द्वारा अनुबन्धित समयावधि में कोई बनावट संबंधी विकार या अन्य बनाते समय रही कमी में कलपुर्जों को बिना किसी शुल्क के बदलना होगा।
19. संयंत्र निर्माता कम्पनी को रिपेयर,बदलने हेतु 7 कार्य दिवस का समय देना होगा ,यह शिकायत लिखित में किसान की ओर से एचडीएस को प्राप्त होगी। संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा सामान बदलने का कार्य 7 दिवस में करना होगा ताकि सिंचाई पर कोई विपरित असर नहीं पड़े।
20. संयंत्र निर्माता कम्पनी कृषक के संयंत्र लगाने को रेखांकन ले-आउट कार्य उपलब्ध करायेगा,जिसमें सिंचाई अवधि तकनीकी व आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट( फसलवार ) संयंत्र के रखरखाव संबंधि जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जायेगा।
21. संयंत्र निर्माता कम्पनी फसल बुआई के समय से पूर्व तथा फसल कटाई से पूर्व सीजन में स्वयं उपस्थित होकर प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था करेगा, वर्ष में कुल 4 प्रशिक्षण कार्य होंगे

22. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा एचडीएस प्रभारी अन्य विशेषज्ञ मुख्यालय से / तथा विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण कार्य हेतु बुलाये जावेंगे।
23. प्रशिक्षण अवधि के दौरान संयंत्र निर्माता कम्पनी निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देगी
  1. नई फसल प्रजाति/संकर बीज, उतक, संवर्धन द्वारा तैयार पौध, कलमी, ( ग्राफ्टस) इत्यादि बूंद-बुंद सिंचाई अन्तर्गत पौधरोपण पर मार्गदर्शन।
  2. बूंद-बुंद सिंचाई सिद्धान्त एवं जलप्रबन्ध परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न फसलों हेतु सिंचाई समय सारणी, कम गुणवत्ता के सिंचाई जल का प्रबन्ध एवं विभिन्न स्रोतों व सुखा प्रबन्ध।
  3. उर्वरकीकरण विधियां , मिश्रित उर्वरकों को सही चयन, पोषण तत्वों को पोषण ।
  4. बूंद-बूंद सिंचाई रखरखाव-फिल्टर किया ,फलस किया बहाव मुल्यांकन, अम्लीकरण, क्लोरोनीकरण आदि।
  5. व्यवसायिक सघन खेती के सुरक्षा उपाय, सावधानियां इत्यादि ।
  6. कृषक के खेत पर विशेषज्ञों के भ्रमण आयोजित कराना, कृषि आदान निर्माता, बैंक, ऋण प्रदाता, बीमा कम्पनियों व निरीक्षण संस्था के प्रतिनिधियों को समावेश करते हुये प्रशिक्षण आयोजित कराना ।
24. एचडीएस/जिला अधिकारी द्वारा पात्र प्रकरणे पर अबिलम्ब ( अधिकतम 7 दिवस) प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।
25. विभाग/एचडीएस द्वारा संयंत्र स्थापना की सुचना प्राप्ति के 15 दिवस में भैतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा ।
26. डीएचडीएस द्वारा पात्र प्रकरणों में निर्धारित समयावधि वित्तीय सविकृति जारी की जाकर अऋणी प्रकरणों में सम्बन्धित कृषक/अधिकृत विक्रेता या संयंत्र निर्माता कम्पनी को शेष रही अनुदान राशि को भुगतान कृषक सहमति के आधार पर किया जावेगा। ऋणी प्रकरणों में एचडीएस/संबन्धित बैंक द्वारा शेष अनुदान/ कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।
27. विभाग संयंत्र स्थापना के बाद कभी भी संयंत्र का भौतिक सत्यापना कर सकता है। संयंत्र नहीं पाये जाने पर/चालू नहीं रहने पर जाँच में कृषक की गलती पाई जाती है तो अनुदान की रिकवरी की जा सकती है।
28. संयंत्र निर्माता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा बिल जारी किये जाने की स्थिति में कृषक की सहमति एवं निर्माता कम्पनी द्वारा बिल को प्रमाणित करने एवं अधिकृत विक्रेता को भुगतान की अभिशंषा एवं प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकृत विक्रेता को बिल का भुगतान किया जा सकेगा। यह प्रत्येक केस/प्रकरण में अलग अलग होगा।
29. संयंत्र स्थापना में पाई गयी किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबन्धित संयंत्र निर्माता कम्पनी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी ।

एचडीएस प्रतिनिधि –.....

संयंत्र निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेता प्रतिनिधि :-.....

कृषक के हस्ताक्षर

**GST No**

**VAT INVOICE DELIVERY CHALLAN**

No : ..... Date : .....  
Name : ..... System : .....  
Village : ..... Crop : .....  
Panchayat samiti : ..... Area(ha.) : .....  
Tehsil : ..... Crop spacing : .....  
District : ..... Lateral spacing:-.....  
Tel./call contact : ..... Brand : .....

S.No.	Particular of items	CM/L NO.	SIZE	UNIT	QTY	UNIT COST (IN RS.)	AMOUNT(IN RS.)
<b>A</b>	<b>Head Control Unit</b>						
	Screen / disc Filter			<b>NOS</b>			
	Hydrocyclone/sand filter			<b>NOS</b>			
	Fertilizer Tank			<b>NOS</b>			
	Fertigation/ventury manifold			<b>NOS</b>			
	NRV			<b>NOS</b>			
	By Pass Assy			<b>NOS</b>			
	Throttle valve			<b>NOS</b>			
	Air Release Valve			<b>NOS</b>			
	Pressure Gauge			<b>NOS</b>			
				<b>NOS</b>			
<b>SUB TOTAL</b>							
<b>B</b>	<b>Water Carrier System</b>						
	PVC for Main(.....kg/CM2)			<b>MTR</b>			
	PVC for Main(.....kg/CM2)			<b>MTR</b>			
	PVC for SUBMain(.....kg/cm2)			<b>MTR</b>			
	Control Valve			<b>NOS</b>			
	Flush Valve			<b>NOS</b>			
<b>SUB TOTAL</b>							
<b>c</b>	<b>Water Distribution System</b>						
	Plain Lateral CI.....			<b>MTR</b>			
	Inlinhe Lateral CI.....			<b>MTR</b>			
	Dripper/Emitter/Nozzel			<b>NOS</b>			
	Fogger/Micro jet			<b>NOS</b>			
	Gromment			<b>NOS</b>			
	Take off/Start Connector			<b>NOS</b>			
	Nipple/Joiner			<b>NOS</b>			
	End Cap			<b>NOS</b>			
	Mini valve/lateral cock			<b>NOS</b>			
	Poly Joiner			<b>NOS</b>			
<b>SUB TOTAL</b>							



2 हैक्टेयर से अधिक न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तर से शपथ पत्र/संस्तुती अनुमोदन

### कृषक/लाभार्थी शपथ पत्र

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-

1. मुझे मेरे/हमें हमारे खेत पर वर्ष भर नियमित रूप से.....( फसल का नाम उल्लेख करें ) फसलें ड्रिप पर उत्पादन करने हेतु.....हैक्टेयर में ड्रिप संयंत्र की आवश्यकता है
2. उक्त ड्रिप संयंत्र मेरे द्वारा नियमित रूप से फसल सिंचाई एवं फर्टिगेशन हेतु काम में लिया जावेगा ।
3. मैं/हम भली भाती जानता हूँ/जानते हैं कि सीमित जल संसाधन के इष्टतम उपयोग तथा कृषक की आमदनी में वृद्धि के मध्यनजर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा ड्रिप संयंत्र पर अनुदान दिया जाता है। स्थापित ड्रिप संयंत्र का नियमित रूप से उपयोग न होने की स्थिति में इस हेतु किया गया राजकीय व्यय निष्फल व्यय की श्रेण में आयेगा। अतः संयंत्र के नियमित रूप से काम में न लेने की जानकारी अगर विभाग को मिलती है तो उक्त संयंत्र हेतु किये गये अनुदान की वसूली हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।

लाभार्थी/ कृषक के हस्ताक्षर

कृषक का नाम :-.....  
पिता का नाम :-.....  
चक/गांव :-.....  
जिला :-.....  
मोबाईल :-.....  
जाति/जाति वर्ग :-.....वर्ग.....



## आपूर्ति निर्माता की तरफ से तकनीकी संस्तुती

प्रमाणित किया जाता है कि –.....पर्याप्त है।

2. कृषक द्वारा प्रस्तुत फसल चक्र वर्ष पर्यन्त नियमित रूप से ड्रिप संचालन हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त है।
3. कृषक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सहमति योग्य है।

निर्माता एग्रोनोमिस्ट/ कृषि अभियंता

---

### विभागिय संस्तुति/अनुमोदन

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक शपथ पत्र व निर्माता संस्तुति पर संतुष्टि तथा कृषक से उसके खेत में सम्पर्क करने व सुतूष्टि के आधार पर कृषक द्वारा आवेदित क्षेत्र.....हेक्टेयर/आवेदित क्षेत्र की बजाय.....हेक्टेयर पर न्यून अन्तराल ड्रिप दिया जाना संस्तुतित है।

सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी उक्त संस्तुति पर सहमति प्रदान की जाती है।

सदस्य, सचिव, डीएचडीएस

उप निदेशक उद्यान/कृषि

भौतिक सत्यापन हेतु चैक लिस्ट

क्र.सं.	विवरण दस्तावेज	पेज नम्बर
1	अनुदान दावा ( क्लेम ) प्रपत्र	
2	कम्पनी के अधिकृत अधिकारी/अभियंता द्वारा प्रमाणित संयंत्र बिल	
3	निधारित प्रपत्र में संयंत्र का डिजाईन मैप ( ड्रिप )	
4	तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन प्रपत्र ( ड्रिप )	
5	कृषक की हिस्सा राशि प्राप्ति रसीद	
6	कार्य पूर्ण प्रमाण –पत्र कृषक द्वारा	
7	कार्य पूर्ण प्रमाण –पत्र डीलर/निर्माता द्वारा	
8	अनुदान भुगतान बाबत कृषक का सहमति-पत्र	
9	कम्पनी का वारंट पत्र	
10	डीलर का कम्पनी द्वारा ओथोराईजेशन प्रमाण-पत्र की प्रति	
11	त्रिपार्टी अनुबंध-पत्र ( 500 के शपथ पत्र पर )	
12	संयंत्र भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कम्पनी के अधिकृत कर्मी द्वारा	
13	संयंत्र की कृषक एवं भौतिक सत्यापनकर्ता के साथ फोटो	
14	फार्म न. –27 ( 2.0 है. से अधिक )	
15	कृषक/डीलर/निर्माता कम्पनी के राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता न. मय IFSC Code का विवरण ( केन्सिल चैक/पास बुक की फोटो प्रति )	
16	.....	

# PHYSICAL VERIFICATION REPORT OF MIS SYSTEM BY AUTHORIZED ENGINEER/AGRONOMIST OF MANUFACTURER

Date :- .....

नाम कम्पनी.....नाम अधिकृत इंजिनियर/एग्रोनोमिस्ट.....  
 मोबाईल न.....नाम कृषक.....पिता/पति का नाम.....  
 ग्राम.....ग्राम पंचायत.....प.स.....  
 तहसील.....विधानसभा.....जिला.....राज.  
 के खेत पर हमारी कम्पनी/ कम्पनी के अधिकृत डीलर .....है  
 में फव्वारा/मिनि/ड्रिप संयंत्र स्पेशिंग.....में स्थापित किया है। दिनांक.....को  
 मेरे द्वारा कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र को चालू करके निरीक्षण किया गया है। संयंत्र पूर्ण रूप से चालू पाया गया  
 एवं सभी उपकरण सुचारु रूप से काम कर रहे थे। संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया है जो निम्नानुसार है :-

(A) GEOTOGGING	AS PER REGISTERED MAUFACTURER ENGINEER/ AGRONOMIST		VERIFICATION BY DEPARTMANT OFFICIAL/ AUTHORIZED		REMARKS
	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	
1	WATER SOURCE				
2	HEAD UNIT				
3	FIELD NW CORNER-A				
4	ANY OTHER CORNER-B				
5	ANY OTHER CORNER-C				

**(B) VERIFICATION BY MANUFACTURER AUTHORIZED ENGINEER / AGRONOMIST PRIOR TO SUBMISSION OF FILE FOR DEPARMENT PHYSICAL VERIFICATION**

S.N.	NAME COMPONET	BRAND & MANUFACTURER	NOS./ LENGTH IN MTR.	YEAR OF MANUFACTURE	BIS.NUMBER	CM/L NUMBER	BATCH NUMBER
1	Screen/Disc.Filter (capacity...Cum)		<b>NOS</b>				
2	Hydrocyclone/Sand Filter (capacity...cum)		<b>NOS</b>				
3	Venfury/ferti. Tank/pump...capacity		<b>NOS</b>				
4	PVC Pipe 90mm		<b>MTR</b>				
5	PVC Pipe 75mm		<b>MTR</b>				
6	PVC Pipe 63mm		<b>MTR</b>				
7	Plain Lateral 16m/32m		<b>MTR</b>				
8	Emmitting Pipe		<b>MTR</b>				
9	Control Valve		<b>NOS</b>				
10	Flush Valve		<b>NOS</b>				
11	Nozzle / Dripper		<b>NOS</b>				

Undertaking by Authorized Engineer / Agronomist of Registered Munufacturer

( For Mini Sprinkler / Drip)

It is certified that the:

1. System has been installed according to design submitted and as per Department Guidelines.
2. Pressure of irrigation water in tha system and dripper flow capacity has been checked and found as per tha requiremanet and desing. tha discharge of water by tha system in tha field is uniform. Filter system has been installed as per requiremanet and quality of water. Tha Ventury (Fertilizer Injector system) is working satisfactory.
3. All components used in system installation are as per ISI stsndard and registered component list at Horticulture Directorate at jaipur.
4. Head unit is safely protected by cement concrete foundation and all Drip line (Laterals) have ben cut & installed in field according to desing and bill submitted to tha Department.
5. Tha farmer has been provided tha installation / operation manual and has been provided training on contact details of nearest After Sales center has been provided to tha farmer.
6. The documents related to the warranty of the system hane been provided to the farmer.The address and contact detail or nearest After sales Service center has been provided to the farmer.

**Enclosure: Physical Verification photograph along with tha farmer & tha system**

Signature of farmer		Signature of Authorized Engineer/ Agronomist	
Name of Farmer with Father/Husband Name		Name	
Address of tha site where system has been installed		Qualification	
Contact Number		Contact Number	

## कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जात है कि श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....  
जाति.....चक.....तहसील.....जिला.....  
के खेत पर मुरब्बा/खसरा नम्बर.....में कम्पनी.....का ड्रिप  
सयंत्र सैट उचित डिजाईन तैयार कर.....हैक्टेयर में स्थपित कर दिया गया है। जो सही व अच्छी  
तरह से कार्य कर रहा है। कृषक को निर्धारित विक्रय पश्चात तीन वर्ष की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाने हेतु मेन्टीनेन्स  
कार्ड एवं सर्विस मेन्युअल भी उपलब्ध करवा दिया गया है। लगाये गये ड्रिप सयंत्र का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	मेन/सबमेन लाईन	लेटरलस	ड्रिपर्स	स्टेनर फिल्टर
IS Mark	14151 पार्ट-1/99 4985 : 2000 पीवीसी पाईप	12786 : 1989	13487 : 1992	12785 : 1994
CML No-				
Batch No.				

विवरण	इमिटिंग पाईपस	माईक्रो ट्यूब्स	वेन्चुरी	माईक्रो स्प्रेयर
IS Mark	13488 : 1992	14482 : 1997	14483 : 1997	14605 : 1998
CML No-				
Batch No.				

हस्ताक्षर कम्पनी/मय डीलर मोहर

## अनुदान स्वीकृति हेतु कृषक सहमती

मेरे खेत खसरा/मुरब्बा नं.....पर लगाया गया ड्रिप सयंत्र.....हैक्टेयर में कम्पनी.....  
(डीलर.....) द्वारा स्थापित किया गया है। व सही हालात में कार्य कर रहा है। इससे मैं पूर्णतय संतुष्ट हूँ। बिल के अनुसार ड्रिप का सामान लगा दिया गया है। ड्रिप सयंत्र की सर्विस मेन्युअल एवं मेन्टीनेन्स कार्ड प्राप्त किये है । अतः उद्यान विभाग की ओर से दी जाने वाली अनुदान राशि का भुगतान कम्पनी / फर्म / ऋण खाते.....को करने का कष्ट करें। कृषक हिस्सा राशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म को कर दिया गया है। स्थपित ड्रिप सयंत्र का विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	मेन/सबमेन लाईन	लेटरलस	ड्रिपर्स	स्टेनर फिल्टर
IS Mark	14151 पार्ट-1/99 4985 : 2000 पीवीसी पाईप	12786 : 1989	13487 : 1992	12785 : 1994
CML No-				
Batch No.				

विवरण	इमिटिंग पाईपस	माईक्रो ट्यूब्स	वेन्चुरी	माईक्रो स्प्रेयर
IS Mark	13488 : 1992	14482 : 1997	14483 : 1997	14605 : 1998
CML No-				
Batch No.				

हस्ताक्षर कृषक :-.....  
नाम :-.....  
पिता का नाम :-.....  
चक/गांव :-.....  
जिला :-.....  
मोबाईल :-.....

## ड्रिप भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष.....में कृषक श्री/श्रीमति.....  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी.....ग्राम.....पंचायत  
 समिति.....तहसील.....जिला.....के खेत पर ड्रिप सयंत्र का  
 भौतिक सत्यापन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम :-.....
2. पदनाम :-.....
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक :-.....
4. कम्पनी का ब्रान्ड व मैक :-.....
5. मौके पर ड्रिप सयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात निम्न विवरण पाया गया :-

क्र.सं.	अवयव का नाम	मौके पर मौजूद अवयव की मात्रा/संख्या	आई.एस.मार्क सी.एम. एल नम्बर व बैच नम्बर
1	मैन/सबमैन लाईन आई.एस.14151 पार्ट-1/199		
2	मैन/सबमैन लाईन आई.एस.4985 : 2000 पीवीसी पाईप		
3	लेटरल आई.एस. 12786 - 1989		
4	एमीटर्स आई.एस. 13487 : 1992		
5	स्टेनर फील्टर आई.एस. 12785 : 1994		
6	इमिटिंग पाईपस आई.एस. 13488 : 1992		
7	माईक्रोट्यूबस आई.एस. 14482 : 1997		
8	वेन्चरी आई.एस. 14483 : 1997		
9	माईक्रो स्प्रेयर आई.एस. 14605 : 1998		
10	सेण्ड फिल्टर/ हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर		

1. ड्रिप सयंत्र स्थापना का क्षेत्र जिसमें अनुदान दिया जाना है । ( हैक्टेयर में ).....  
 लेटरल से लेटरल की दुरी (स्पेसिंग).....मुरब्बा/खसरा नम्बर.....
2. कृषक द्वारा ड्रिप सयंत्र स्थापित करने का वर्ष.....माह.....(कृषक को पूछताछ कर भरा जावे )
3. अवयवों की मात्रा एवं ड्रिप सयंत्र स्थापित क्षेत्र के अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है.....
4. क्या कृषक द्वारा पूर्व में ड्रिप सयंत्र पर अनुदान लिया गया है हाँ.....नहीं.....
5. यदि हाँ तो वर्ष.....कम्पनी का ब्रान्ड.....क्षेत्रफल.....
6. मौके पर बोई गई फसलों का विवरण.....
7. सयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परक्षण किया गया व सन्तोषजनक पाया गया ।
8. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दू जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है।

कृषक के हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी

आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर

भौतिक सत्यापन करने वाले  
 अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर  
 मय नाम, पदनाम व दिनांक

## अनुदान प्राप्ती रसीद

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....जाति.....  
श्रेणी.....चक.....पंचायत समिति.....  
तहसील.....जिला.....ने वर्ष.....में फर्म/कम्पनी.....  
.....से.....हैक्टेयर क्षेत्रफल में ड्रिप संयंत्र स्थापित करवाया है  
तथा इस हेतु मुझे दिये जाने वाले अनुदान राशि के भुगतान का डी.डी./चैक ( नम्बर.....) राशि  
फर्म/कम्पनी .....को दे दिया जावे,  
क्योंकि मेरे द्वारा फर्म/कम्पनी को कृषक राशि का भुगतान ही किया गया है

कृषक के हस्ताक्षर .....

नाम .....



## सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक की रिपोर्ट

कृषक श्री/श्रीमति.....पुत्र/पुत्री/पति श्री.....  
चक.....तहसील.....जिला.....  
द्वारा कृषक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार/कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार पूर्व में वर्ष.....में ड्रिप  
/ मिनि स्पिंकलर कम्पनी / ब्रांड.....हैक्टेयर.....  
में अनुदान प्राप्त किया है/ नहीं किया है ।

सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक उद्यान

मुख्यालय :-.....